

भाग-IV

(नोडल अधिकारी अथवा मुख्यवन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

17-	टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिश (राय देते समय सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उपवन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणीयों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाये और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय)	Recommended for approval
-----	--	--------------------------

दिनांक:- 22.5.2017
स्थान:-

हस्ताक्षर:-
नाम:-
सरकारी मोहर:-
वाई०एस०के० शेषकुमार
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी
वन (संरक्षण) अधिनियम-1980
उ० प्र०, लखनऊ।